

1/3/2022

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

29/1/2022

223177

नूरी प. 1-3 पल

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मदनपुरी गोस्वामी श्री शक्ति लाल-2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
25/2/25	पत्रावली पेश की गई। अतिमाधक उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहम प्रापिक आपत्रि दिनांक 17/3/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
17/3/25	राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहम प्रापिक आपत्रि दिनांक 15/4/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
15/4/25	पत्रावली पेश की गई। वकूलाय उपस्थित। प्रापिक उपपत्र बहम हेतु सम्य चालते हैं, जो दिनांक 15/4/25 है। प्रापिक आपत्रि रूप से बहम को पत्रावली वास्ते बहम प्रापिक आपत्रि दिनांक 28/4/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
28/4/25	पत्रावली पेश की गई। वकूलाय उपस्थित। अतिमाधक उपपत्र बहम हेतु सम्य चालते हैं, जो दिनांक 15/4/25 मापके आपत्रि रूप से बहम को पत्रावली वास्ते बहम प्रापिक आपत्रि दिनांक 15/5/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
15/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेषो. उपस्थित। राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसला पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 16/5/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16/5/25	पत्रावली पेश की गई। अतिमाधक अपीलांट एवं अपीलांट उपे नही। अतिमाधक रेषो स. 1,2 उप.। अतिमाधक अपीलांट व अपीलांट के कई बार रुक-रुक कर माताने मिले गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। आतः अपील अपीलांट अरुप हाजती मस्य फरवी के खासि की जारी है। पत्रावली केवलशुभारखिडर नम्बर से कम है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	



PK
391/2022
2020/00022

94
Bog Shiv L. N. Yogi
Ad
Check & Repl

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर
अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 22/2020 जिला अजमेर

RR-391/2022

श्रीमती नूरी पुत्री श्री घीसा धर्मपत्नि श्री पीरू, जाति चीता, निवासी
अजयसर, तहसील व जिला अजमेर।

-- अपीलांत

बनाम्

1. श्रीमती कमली पुत्री श्री छोगा उर्फ सरदारा धर्मपत्नि श्री हरजी, जाति चीता, निवासी अजयसर हाल निवासी थल का बाडिया, श्री सीमेन्ट फैक्ट्री के पास, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
2. श्रीमती पूजा हींगड पत्नि श्री विजय हींगड जाति जैन निवासी सुन्दर विलास, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

-- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर दिनांक 5.12.2019 अन्तर्गत वाद संख्या 31/2008 बउनवानी श्रीमती नूरी बनाम् श्रीमती कमली वगेरह।

श्रीमान्जी,

अपीलांत अपील के सक्षिप्त तथ्यो सहित निम्न निवेदन करती है:-

यह कि वादीया/अपीलांत द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका सजरा निम्न प्रकार है :-